न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शाखा रूबी, 11वीं मंजिल, उत्तर पश्चिम विंग प्लाट नम्बर 29, सेनापति बोपाल मार्ग, मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी अमरजीत सिंह पंवार बनाम सीमा जोशी एवं अन्य प्रा.प.अ. सरफेसी एक्ट 2002 प्रकरण संख्या–जीसीएमएस 2024/583	नम्बर व तारीख अहकाम की हुक्म की तामील में जारी
13–02–2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शाखा रूबी, 11वीं मंजिल, उत्तर पश्चिम विंग प्लाट नम्बर 29, सेनापति बोपाल मार्ग, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय– ड्रीम हाईट्स, प्लॉट नं. 5–6, मारवाडी केटालिस्ट, सीवाईबी–5, साईबर पार्क हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी अमरजीत सिंह पंवार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रार्थना प्रस्तुत किया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में न्यायालय द्वारा सूचना पत्र दिनांक 17.12.2024 को जारी किया गया। बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.01.2025 को अप्रार्थी सीमा जोशी की ओर से जरिये अधिवक्ता वकालत नामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी गई। हमने पत्रावली में बैंक/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी सीमा जोशी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया। अप्रार्थी सीमा जोशी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया कि बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी 13(2) नोटिस का विस्तृत जवाब प्रेषित किया गया था तथा ऋण रिलायंस होम फाईनेन्स से यश बैंक को सुपुर्द किया जाकर ऋण संबंधी कार्यवाही का मामला आर्बिट्रेटर को दिया जाकर एक पक्षीय अवार्ड दिनांक 26.03.2022 प्राप्त किया गया जिसे वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2022 में दिनांक 21.10.2024 को अपास्त किया किया गया जिसकी प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गई। साथ ही बैंक/वित्तीय संस्थान को 13(2) नोटिस की जवाब दिये जाने पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना नही दी गई जो कि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14(1) (vii) का उल्लंघन है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.01.2025 को अवगत कराया गया कि ऋण के संबंध में अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में रिलायंस होम फाइनेंस, यश बैंक, मैसर्स केटालिस्ट ट्रस्टशिप, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को प्रतिकार बनाते सिविल रिट संख्या 584/2025 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.01.2025 को बिन्दु संख्या 5 में " if the petitioner failed to approach the DRT,	

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

Jaipur and obtain appropriate orders before 24.01.2025, the respondents will be free to take appropriate action for recovery of the amount due. " को आदेश दिया गया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 24.01.2025 को डीआरटी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें नवीनतम आगामी तारीख पेशी 17.02.2025 दी गई। बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण के यश बैंक को सुपुर्द होने के दस्तावेज नही संलग्न किये गये तथा बैंक/वित्तीय संस्थान के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 1 में भी ऋण संबंधित वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.10.2024 का उल्लेख नही किया गया। अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्थान प्रकरण/वाद का डीआरटी जयपुर से निस्तारण के पश्चात नवीन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार कर दाखित दफ्तर हो।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

(गौरव अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)